ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्लॉट न0–1, सैक्टर–नॉलेज पार्क–4, ग्रेटर नोएडा सिटी

पत्रांक :–अ0मु0का0अ0 (डी0) / 2020 / अ0स0 / 926 दिनांक 28/02/2020

कार्यालय आदेश

ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण की 117वीं बोर्ड बैठक दिनांक 10.02.2020 मे मद संख्या–117 / 24 में लिये गये निर्णय के अनुपालन में ग्रेटर नोएडा परिक्षेत्र में सिचाई विभाग की भूमि पर विज्ञापन अनुमति के सम्बन्ध में निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी :–

1. सिचाई विभाग द्वारा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में विज्ञापन हेतु यूनीपोल एवं गैन्ट्री की अनुमति सिचाई विभाग के अनुरोध किये जाने पर दी जायेगी ।
2. ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिसूचित भूमि पर रु0 153.00 प्रति वर्ग फुट प्रति महीने + G.S.T. की दर से सिचाई विभाग के आवेदन पर अनुमति तथा दरों में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की बढोत्तरी पर अनुमति प्रदान की जायेगी ।
3. अनुमति 01 वर्ष हेतु सिचाई विभाग के अनुरोध पर दी जायेगी ।
4. यदि Authority के Notified Area के अन्तर्गत सिचाई विभाग की भूमि पर ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गयी अनुमति से अधिक यूनीपोल पाये जाते है तो अवैध यूनीपोल के जिम्मेदार सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता सिचाई विभाग होगें । सिचाई विभाग की भूमि पर पाये जाने वाले अवैध यूनीपोल पर रु0 1,00,000 /– प्रति यूनीपोल प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड सिचाई विभाग द्वारा देय होगी ।

अतः उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगें ।

(दीप चन्द्र)
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रतिलिपि :–

- स्टाफ आफिसर को, मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के सादर अवलोकनार्थ ।
- अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (जी0) को सूचनार्थ ।
- विशेष कार्याधिकारी (एस0के0 / एस0एस0) को सूचनार्थ ।
- उप महाप्रबन्धक (अर्बन सर्विस) को सूचनार्थ ।
- वरिष्ठ प्रबन्धक (अर्बन सर्विस) को अनुपालनार्थ ।
- समस्त वरिष्ठ प्रबन्धकों को अनुपालानार्थ ।
- प्रबन्धक (सिस्टम) को उपरोक्तानुसार मद संख्या–117 / 24 को प्राधिकरण की बेवसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

28/02/2020

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी